

रीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज

आपत्र अस्थाई निषेध

सं. नं. - 30/2023

27.2.25 पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। पीठासीन अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में हैं। पत्रावली वास्ते आग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 01.04.25 को पेश हो।

07.04.2025

पत्रावली आज पेश हुई। वकुलाय उभय पक्षकारान् उपस्थित। वकुलाय उभय पक्षकारान् ने मूल वादपत्र में विवादक बिन्दु तैय कर दिये जाने से प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाकर अन्तिम निस्तारण किये जाने हेतु सहमति व्यक्त की। वकुलाय उभय पक्षकारान् की सहमति पर प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में इस न्यायालय द्वारा पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 18.04.2023 को मूल वादपत्र के निस्तारण तक कन्फर्म किया जाता है तथा उभय पक्षकारान् को पाबन्द किया जाता है कि वे वादग्रस्त भूमियों के मौकें व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

(अनिल)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)